

विज्ञापन संख्या-10 / 2023 एवं 11 / 2023

झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त
प्रतियोगिता परीक्षा-2023

आवश्यक सूचना-07

दिनांक- 17.11.2023

झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के अन्तर्गत निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा ऑन-लाईन आवेदन में संशोधन के समय अपनी आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है:- 230301013580, 230301025174, 230301030783, 230301035238, 230301044354, 230301070380, 230301085463, 230301093608, 230301093880, 230301169036, 230301169866, 230301194098, 230301204804, 230301219033, 230301282137, 230301290916, 230301348175, 230301352127, 230301390558, 230301403510, 230301439425, 230301454544, 230301478984, 230301487512, 230301500160, 230301506383, 230301518065, 230301525121, 230301529769, 230301561601, 230301666493, 230301669898, 230301681589, 230301693716, 230301696805, 230301719995. (कुल-36)

3. निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निःशक्त कोटि के आवेदकों के द्वारा ऑन-लाईन आवेदन में संशोधन के समय अपनी निःशक्तता कोटि में परिवर्तन किया गया है:- 230301354445, 230301548376, 230301593247, 230301723773. (कुल-04)

4. तदनुसार परीक्षा विवरणिका की कंडिका-13 के आलोक में संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि को (सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के नाम से) डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 24.11.2023 तक आयोग कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्तर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे एवं तदनुसार अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

ह०/-
परीक्षा नियंत्रक।